would be about 50 dollar more, and they could recover the entire loss they would be making for the two years. By that time none of your industries will be in a position to come back to production.

Now, about 10,000 workers and officers who are engaged in these two industries are in panic. I believe the Prime Minister and the Finance Minister have asserted that none of the public sector units will be closed in this country because of this policy. Now I urge upon the Government to come forward and assure that these two industries will not be closed because of this policy. The Government should do something so that these industries run. After the closure of the industries, the dumping of D.A.P. will be a surse on us. Today we are feelng that we are getting it at a cheaper rate. That will become a curse then. The industries in India will be totally jeopardised. The workers will lose interest in their work. This is a beginning. I do not know. If the Government will not do anything by the end of this month, I believe all other industries in the public sector will follow suit.

Thank you.

Policy Laxity in follow up of sases against persons accused for 1984 riots in Delhi

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा आपका ध्यान एक गंभीर समस्या के प्रति दिलाना चाहता हूं । श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के उपरान्त आप जानती हैं, देश में और विशेषतया दिल्ली में दंगे हुए और एक विशेष समुदाय को बहुत ही प्रताड़ना सहनी पड़ी, मकान जलाए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और बहुत से लोग मारे गए। उस संबंध में बार बार हमारे सामने और इस सदन के सामने यह मामला आया कि उस विशेष समुदाय का जो जनमानस है उस के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है और उसकी वजह से एक विशस की कमी होती जा रही है देश में सरकार के प्रति। बहुत काफी बहस-मुबहिसे के बाद सरकार ने राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौते के उपरान्त यह तय हुआ कि इसके लिए एक इक्वायरी कमेटी बने। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमांशन बनाया गया । उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उससे भी पूरा मामला हमारे सामने नहीं आया और यह तय हुआ कि अधिकारियों का कुछ दोष है। तो उसके संबंध में दो और कमेटियां बनीं। होते होते और समय समय पर हमारे सामने यह आता रहा कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। लेकिन वह भी केवल एक दिखावे के रूप में। वास्तव में क्या हो रहा है, यह मैं नहीं जानता। लेकिन जो एक विशेष बात है वह यह है कि धीरे-धीरे, बार-बार जो फैसले होते हैं अदालतों में, उसकी चर्चा भी समाचार-पत्रों में नहीं आ पाती है और यही नहीं होता है, इन मामलों में जिन लोगों के विरूद्ध 1984 में दंगों के जुर्म में केस दर्ज किए गए उन में से 8 को छोड़ दिया गया, 9 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया, 10 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है और जहां तक मुझे याद है, अखबारों में मैंने देखा है कि कम से कम 40–45 व्यक्ति इस तरह से अभियुक्त छोड़ दिए गए हैं।

उपसभापति महोदया, आप जानती हैं कि देश में किस तरह की उत्तेजना फैली थी जब कि पुलिस नाकामयाब रही। उस की जो भी कार्यवाही थी उस को विफल करने की पूरी चेष्टा की गई क्योंकि एक विशेष प्रभावित व्यक्ति को वह गिरफ्तार नहीं कर सके। लोगों ने पुलिस को घेर लिया और वह हमारे सामने एक नमूना था कि किस प्रकार से हम देश में शासन चलाना चाहते हैं।

महोदया, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस पृष्ठभूमि में कि कल अखबारों में यह आया हुआ है कि दिल्ली में एक कोर्ट ने एक फैसला दिया। वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि पी.टी.आई. ने कहा है :

[श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)

"A Delhi court has acquitted nine accused from charges of loot and arson in the November 1994 riots in the capital."

कुछ हिस्सा मैं छोड़ देता हूं।

"The Additional Sessions Judge, Mr. S. S. Ball, in his recent order gave benefit of doubt to nine persons accused of looting and burning shops and several vehicles in the Karol Bagh area during the riots and acquitted them. The Judge said the police had not submitted the case property to the court, which created doubt on the veracity of the prosecutors' case under section 47 and 48 of the I.P.C. against the accused."

इसी तरह से पहले भी मामले हैं। चाहे वह कत्ल के मामले हों, चाहे आगजनी के मामले हों और चाहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में हो, 8–10 साल के बाद इन मामलों को दर्ज किया गया है। उनकी पूरी तरह से खोजबीन नहीं की जा रही है और इसी की वजह से धीरे-धीरे ये अभियुक्त बरबर छूटते जा रहे हैं और धीरे-धीरे हमारे सामने यह आयेगा कि जितने भी मुकदमे थे सब का फैसला हो गया। (समय की घंटी) कम से कम उतना समय तो दे दें जितना समय श्रीमती जयंती नटराजन और डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी को देते हैं। मैं शायद ही 5–7 रोज के बाद कभी हाथ उठाता हूं लेकिन फिर भी...(व्यवधान) बहुत कम उठाता हूं। कभी-कभी मुझे भी मौका दे दीजिए बात कहने का।

उपसभापति: जल्दी यह है कि राजेश पायलट जी वहां मौजूद हैं और लंच के पहले.....।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : पायलट साहब तो पायलट हैं वह तो कभी भी आ सकते हैं, कलकत्ता पहुंच सकते हैं, सुबह तीन बजे भोपाल पहुंच सकते हैं और यहां भी। मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, अस्पताल में भी मुझ से मिलने पहुंच गये थे।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : यह इनकी कार्यक्षमता है।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : मैं उसी कार्यक्षमता का नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसी वजह से कुछ दिनों पहले जब इन्होंने आन्तरिक सुरक्षा का भार संभाला तब इनके पास एक डेपुटेशन गया था। अखबारों में मैंने पढ़ा। इन्होंने बड़ा आश्वासन दिया था। दो-एक अच्छी तरह एडीटोरियल भी अखबारों में निकले। इस मामले को बड़ी गम्भीरता से लिया जा रहा है। मुझे पता नहीं शेडो बाक्सिंग है आन्तरिक? उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। गृह मंत्री क्या, आन्तरिक सुरक्षा मंत्री क्या, इन सब मामलों में मैं नहीं जा सकता। मेरा इस मंत्रालय से कुछ संबंध रहा है। न मैं पुलिस अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं, न किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि वह तो अपने रिकार्ड का माला है। जो अधिकारी के साथ लोग काम करते हैं उनके बारे में लोग जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार पूरे ध्यानपूर्वक इस मामले को देखे। यह बताने की चेष्टा करे कि सन् 1984 के रायट्स के उपरांत दिल्ली में जितने मुकदमे दर्ज हुए उनकी वस्तुस्थिति क्या है? और वस्तुतः जो क्षमता का सवाल है, जैसा अभी पचौरी साहब ने कहा, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो इसमें स्ट्रिक्चर्स हैं अगर कोर्ट के, यह पहली दफा नहीं है, इस मामले में कई दफा आ चुके हैं।

पहला है इनवेस्टीगेशन और दूसरा है प्रोसिक्यूशन। इंनवेस्टीगेशन किस तरह का किया गया कौन-कौन खामियां और

कमियां रहीं। यह कोई नई चीज नहीं है जो इसमें बताया है। लॉ मिनिस्टर साहब भी यहां उपस्थित हैं वह इसमें और भी बता सकते हैं। इनवेस्टीगेशन में जो खामियां हैं, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था, अप्रत्याशित हैं। यह तो रोजमर्रा की, बिल्कुल रुटीन रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं है जिसको पुलिस को करना है, अगर वह करना चाहते हैं। क्या उन्हें इस प्रकार के आदेश हैं कि इस मामले को धीरे-धीरे लटकाना है, चलाना है। दूसरा है प्रोसिक्यूशन का कि किस तरह से कोर्ट में इसको रखा जाता है। इनवेस्टीगेशन सही होना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से जो भी आवश्यकताएं हैं वह पूरी हों। क्षमता तो इस बात में है कि प्रोसिक्यूशन और आपका जो प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर है उनमें भी क्षमता होनी चाहिए। कुशलता किस तरह की वे रखते हैं यह जानने की बात है। यह कोई पार्टी की बात नहीं है। बार-बार होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस देश में इलेक्शन तब होंगे चार राज्यों में जब कि कम्युनलाइजेशन आफ पालिटिक्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होगा। मैं समझता हूं दिल्ली की पालकी अभी भी अरसे से आप ही उठा रहे हैं। लोग अब थक गये होंगे। इस वजह से कहना चाहता हूं कि इस संबंध में इनवेस्टीगेशन और प्रोसिक्यूशन के मामले को ठीक से गम्भीरता से लिया जाये। और यदि वास्तव में आप विश्वास करना चाहते हैं उस विशेष समुदाय में, तो उसके लिए क्या करेंगे? यह मामला बहुत ही गम्भीर है। इस प्रकार से आप इस पुलिस की क्षमता को बढ़ा नहीं रहे हैं, पुलिस की क्षमता को कम कर रहे हैं, उसको वास्तव में पोलिटिसाइज कर रहे हैं और ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो पुलिस का इंस्ट्रूमेंट अथोरिटी का है उसको आप लालैसली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लाज है उनको भी लालैसली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर कानून का पालन करने का सवाल है वहां पर उसकी चेष्टा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से प्रश्न चिन्ह बन जाता है, न केवल पुलिस के खिलाफ बल्कि जो अदालतें हैं उसके खिलाफ भी बन जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जब मारल लेजिटिमेसी नहीं रहती है तो लोगों का विश्वास कम होता है और मैं समझता हूं कि जनतंत्र में जनता का विश्वास कम होता है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को राजनैतिक दृष्टि से बारबार न देखा जाय। आप तो लोगों को बहुत उपदेश दिया करते हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से देखेंगे और यह अदालत का मामला है, इसको सही तरीके से देखा जाना चाहिए और वास्तव में इसका जो कल है वह उसी रूप में है जिस तरह से हमारे सिख समुदाय चाहता है। इस मामले को इस तरह से नहीं टाला जा सकता है कि इसमें अदालत क्या कर सकती है। हम यह नहीं कहते कि आप अदालत में हस्तक्षेप करें। हम तो यह कहते हैं कि अदालत के सामने आप पक्ष को ठीक से रखें।

महोदया, आपका मैंने बहुत समय लिया और जिस उदारता से आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Dronamraju.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, what about the statement by Shri Rajesh Pilot?

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are only two special mentions left out. We will complete them and then take up the statement.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): What about the statement?

THE DEPUTY CHAIRMAN: After special mentions, We can adjourn the House for lunch ten minutes late.

Reported spread of gastro-enteritiis in large areas of Visakhapatnam district of Andhra Pradesh

SHRI SATYANARAYANA DRONAMRAJU (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, I would like to bring to the notice of The entnal Government about some recent tragedies that have occurred in the district of Visakhapatnam The killer disease, gastro-enteritis struck Visakhapatnam district right from Bhimunipatnam to Payakaraopeta. The recent death toll due to the dreaded epidemic gastro-enteritis in the district has gone up to 32, exclusively in Bhimunipatnam, Tagarapuvalasa and Sangivalasa villages. In the recent past also, this disease had struck the Tribal belt of Chintapalli, Paderu and took a toll of 35 lives. It spread to the towns of Anakapalli, Narasipatnam and Payakaraopeta. Now the entire district has been affected by this epid emic and 600 cases have been officially reported in the Government hospitals.

I request the Central Government to intervene in the matter and depute a high level medical team to investigate into the matter and take adequate preventive measures to control this disease.

I also request the Central Government to release at least Rs. 1 crore from the Prime Minister's Relief Fund for providing relief to the affected people. Ex-gratia payments to the families of the deceased may also be granted.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam Deputy Chairman, I associate myself with the special mention made by Shri Dronamraju Satyanarayana. In Chitradurga, Mysore and other places in Karnataka, people are suffering from gastro-enteritis. I think the Ministry of Health should take a serious note of it and preventive action should be taken.

Frauds in Lottery oprration in the country

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में लगभग सब प्रांतों में कांग्रेस की सरकार की बहुत बड़ी देन रही है और वह लाटरी का बिजनेस है। लाटरी का व्यवसाय पिछले कई वर्षों से काफी अच्छी तरक्की पर चल रहा है। मैं नहीं समझता कि समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के लिये यह कितना लाभदायक है और कितना अधिक व्यक्ति के लिये उपयोगी है। लेकिन यह तथ्य है कि इस व्यवसाय में इस समय लगभग 54 हजार करोड़ रुपयों का व्यवसाय हो रहा है। इसमें 25 लाख लोग लगे हुये हैं जो लाटरी के टिकट बेचते हैं। यह व्यवसाय बढ़ रहा है, यह बात सही है। लेकिन इस व्यवसाय में, लाटरी के धंधे में कितनी फर्जीयत, कितनी बेईमानी और लूट-खसोट मची हुई है उसके प्रति सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। दो दिन पहले नव भारत टाइम्स के हिन्दी एडीशन में जो समाचार आया है उसका एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं जो सरकार के लिये आंख खोलने वाला हो सकता है। इसलिये यदि वाकई सरकार अपनी आंख खोलना चाहती है और कान से बात को सुनना चाहती है तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। महोदया, इसमें स्पष्ट लिखा है कि गैर-कानूनी, छलपूर्ण और अमानवीय देश में धड़ल्ले से बिक रही लगभग दो सौ लाटरियों के बारे में इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। राजधानी, दिल्ली में ही, यानी नाक के नीचे, केन्द्रीय सरकार के ही, यहां पर ही इस प्रकार की 35 से 40 प्रतिशत अवैध लाटरियां चल रही हैं, अवैध धंधा हो रहा है। दिल्ली से ही प्रकाशित कई राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में लाटरियों के भ्रामक विज्ञापन सुर्खियों